अनुसूचि 21-प्रपत्र संख्या - 113

698/18

सम्पत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

R.T.P.S No - 1800

प्रमाण पत्र संख्या - आवेदन संख्या .....

चूँकि श्री संजय कुमार चौधरी पिता लक्ष्मण प्रसाद चौधरी ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधि सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही 1 में अं इसके सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0.....1985 से ता0 to up to date No..... तक तलासी की गई और ऐसी तला के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा Maksudpma		खाता न0 - 171					
	खाता न0		खेसरा न0	रकबा				
	310		189	M.D				
	122		188	0=18.85				
				0=07				
				0=25.85				
				(25.85 decl land)				

- वशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख ।

Scanned by CamScanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

कार्यालय

मुहर ।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख 24/5/18

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति का विवरण के अनुसार पाये है यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों की दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारा (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे ।

निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभार के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी ।

किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदन ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने उपेक्षित तालाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा ।

और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिखा गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों का छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभार पड़ता हो ।

ज्ञापांक - 1117 दिनांक - 24-5-18

आवेदक का नाम - संजय कुमार पोद्दार

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक
Union Bank of India Hajipur
Date - 21-5-18

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24/5/18

Scanned by CamScanner